

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ॥  
मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1994/22 अग्रहायण, 1916 ॥शक॥

संख्या. 140

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 9. 12. 94 का निम्नलिखित पत्र आज अर्थात् दिनांक 13. 12. 94 को प्राप्त हुआ :-

मुझे आपको यह सूचित करने का सम्मान मिला है कि श्री शोएब इकबाल, विधायक, दिल्ली को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् 9. 12. 94 को अपराहन 3. 20 बजे संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1973 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 9. 12. 94 को अपराहन 3. 45 बजे थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा किया गया था ।

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)  
Tuesday, December 13, 1994/Agrahayana 22, 1916 (Saka)

No.140

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 9.12.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi is received on today i.e. 13.12.1994 :-

"I have the honour to inform you that Shri Shoab Iqbal, M. L.A., Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, New Delhi at 1520 hours today i.e. 9.12.1994.

He was released at 1545 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the Same day i.e. 9.12.1994."

P.N. GUPTA  
SECRETARY